Central Goods & Services Tax Act, 2017

¹[Section 53A: Transfer of certain amounts

Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the State Goods and Services Tax Act or the Union territory Goods and Services Tax Act, the Government shall, transfer to the State tax account or the Union territory tax account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.]

¹ Section 53A inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 1/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

१। धारा 53क : कतिपय रकमों का अंतरण

जहां इस अधिनियम के तहत् इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के तहत् इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता में कोई राशि स्थानांतरित की गई है, सरकार राज्य कर खाते या संघ में स्थानांतरित करेगी। प्रादेशिक कर खाता अथवा इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता से हस्तांतरित राशि के बराबर राशि, इस तरह से और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]

¹ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा धारा 53क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।